3

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
25/2025	03.06.2025	28.4.2026

1. सुबेराज पुत्र ठंडी, मीना निवासी नारायणपुर तह0 तलावडा
2. राधा पत्नी ठंडी, मीना निवासी नारायणपुर तह0 तलावडा
3. रामविलास पुत्र जिन्सी, मीना निवासी नारायणपुर तह0 तलावडा —प्रार्थीगण

बनाम

1. द्वारका पुत्र रामकरण, मीना निवासी नारायणपुर तह0 तलावडा
2. नाहरसिंह पुत्र परसादी, मीना निवासी नारायणपुर तह0 तलावडा
3. प्यारी पुत्र रामकरण, मीना निवासी नारायणपुर तह0 तलावडा
4. प्रभू पुत्र रामधन, मीना निवासी नारायणपुर तह0 तलावडा
5. प्रहलाद पुत्र रामफूल, मीना निवासी नारायणपुर तह0 तलावडा
6. रमेश पुत्र रामकरण, मीना निवासी नारायणपुर तह0 तलावडा
7. रामकन्या पत्नी रामकरण, मीना निवासी नारायणपुर तह0 तलावडा
8. श्रीनारायण पुत्र रामसुखा, मीना निवासी नारायणपुर तह0 तलावडा
9. हरी पुत्र रामसुखा, मीना निवासी नारायणपुर तह0 तलावडा
10. मनको बेबा मुथरया, मीना निवासी नारायणपुर तह0 तलावडा
11. मुकेश पुत्र मुथरया, मीना निवासी नारायणपुर तह0 तलावडा
12. बृजेश पुत्र मुथरया, मीना निवासी नारायणपुर तह0 तलावडा
13. केसन्ती पुत्री मुथरया पत्नी हनुमान, मीना नि. रावल तह0 सवाई माधोपुर
14. फोरन्ती पुत्री मुथरया, मीना निवासी ढहरिया तह. नादौती
15. अनीता पुत्री मुथरया, मीना निवासी मुराडा तह0 तलावडा
16. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तलावडा —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राज0 अधिनियम

उपस्थित :— श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 17 की खातेदारी की भूमि ख0न0 563 रकबा 0.38 है0, ख0न0 564 रकबा 0.55 है0 ग्राम नारायणपुर तह0 तलावडा मे स्थित है। प्रफार्मा अप्रार्थी संख्या 17 नौकरी करते है तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय मौके पर उपस्थित नही होने के कारण उसे प्रफार्मा अप्रार्थी के रूप मे दर्ज किया गया है। प्रार्थीगण एवं प्रफार्मा अप्रार्थी संख्या 17 के समान अधिकार [illegible] की भूमि के उत्तर दिशा मे भूमि ख0न0 584, 586 स्थित है। जिसकी खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज है तथा पश्चिम दिशा की भूमि ख0न0 583, 585 स्थित है। जिसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 8, 9 तथा मृतक खातेदार मुथरया पुत्र रामसुखा के वारिसा 10 ता 15 की है। प्रार्थीगण ने सुरक्षा की दृष्टि से प्रार्थीगण की भूमि पर मिट्टी की डौलमेड बनाई हुई है। डौलमेड को लेकर पडौसी काश्तकारों से आये दिन सीमा को लेकर विवाद रहता है। प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:09:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

9

द्वारा दिनांक 22.06.2024 को अपनी भूमि का सीमाज्ञान भी करवाया जा चुका है लेकिन अप्रार्थीगण पटवारी हल्का द्वारा कराये गये भूमि के सीमाज्ञान को नही मानते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि ख0न0 563 रकबा 0.38 है0, ख0न0 564 रकबा 0.55 है0 ग्राम नारायणपुर तह0 तलावडा जिसे नजरी नक्शे मे लाल रंग से दर्शाया गया है का सीमाज्ञान व पत्थरगढी पुलिस सहायता से कराये जाने हेतु तहसीलदार तलावडा को आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 166, 99,199 ग्राम नारायणपुर, नकल नक्शा ट्रेस, फोटोकोपी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 22.06.2024 प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वकील प्रार्थीगण को सुना गया।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 166 ग्राम नारायणपुर के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 17 की खातेदारी में दर्ज है इसलिए प्रार्थीगण भूमि की पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा को आदेश दिया जाता है कि मौके पर कोई विवाद नहीं हो तो वह प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 563 रकबा 0.38 है0, ख0न0 564 रकबा 0.55 है0 ग्राम नारायणपुर तह0 तलावडा की पत्थरगढी करवावें। निर्णय की एक प्रति पालना हेतु तहसीलदार लैण्ड होल्डर तलावडा को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.4.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) * गंगापुर सिटी (स०मा०) * सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:09:41 IST
Reason: SelfAttested